

विवेकाधीन अनुदान प्रस्तावों के प्रकमण के लिए जांच-सूची
(आंतरिक)

1. आवेदक को कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी, यदि उसे समान उद्देश्य के लिए पूर्व में उपराष्ट्रपति का अनुदान प्राप्त हुआ है।
2. कार्योत्तर स्वीकृति/संवितरण के लिए प्राप्त हुए तय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी एक श्रेणी की वित्तीय सहायता (उदाहरणतः कैंसर) में भारी संख्या में मामलों के होने की दशा में सराहनीय तथा सामयिक निपटान हेतु उद्देश्यपरक मानदंडों पर विचार किया जा सकता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:- गंभीरता का स्तर तथा उपचार की तात्कालिकता, आयु, आर्थिक स्थिति और देयताएं तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि।
4. अनुदान की वित्तीय स्वीकृति इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी।
5. अनुसूची में यथानिर्धारित, विवेकाधीन अनुदान के तीन उद्देश्यों हेतु, निम्न सहायक दस्तावेज अपेक्षित हैं:-

क) सामान्य

- क) **आवास का प्रमाण** (मामले की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के साथ-साथ अनुदान का समान भौगोलिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए)
- ख) **आय का प्रमाण** (चिकित्सा रोगी, आपदा पीड़ित और उप राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए)
- ग) प्रपत्र-1 में अनुदानग्राही से अन्य स्रोतों से उसी प्रकार के अनुदान के आहरण न किए जाने का प्रमाण पत्र।

ख) अनुदान के प्रयोजनार्थ विशिष्ट बातें

(i क) चिकित्सा उपचार के लिए : स्वीकृति दिए जाने हेतु

- किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित स्व घोषणा कि रोगी या रोगी के माता-पिता (अवयस्क की स्थिति में) केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवा में नहीं हैं और न ही वे ईएसआई के अंतर्गत आते हैं।
- सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल से बीमारी की प्रकृति तथा गंभीरता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र/पर्ची और उपचार के लिए संस्तुति।
- सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रस्तावित चिकित्सा उपचार के लिए खर्च का आकलन।

(i ख) चिकित्सा उपचार के लिए - भुगतान जारी करने हेतु

- धनराशि को शल्य चिकित्सा/भर्ती के समय सीधे अस्पताल को भेजा जाएगा जिसके लिए शल्य चिकित्सा/भर्ती होने की तारीख आवेदक/रोगी द्वारा संबंधित अस्पताल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
- यदि शल्य क्रिया इस कार्यालय में आरंभिक आवेदन प्राप्त होने की तारीख तथा सहायता स्वीकृत होने से पूर्व किसी तारीख को की जाती है, तो मंजूरी तथा भुगतान साथ-साथ किया जाएगा।
- अंतिम भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाएगा - यदि यह स्वीकृति धनराशि के बराबर या उससे कम है परंतु यदि वास्तविक व्यय स्वीकृत धनराशि से अधिक है तो स्वीकृत तरीके के बराबर ही भुगतान किया जाएगा उससे अधिक नहीं।

(i ग) चिकित्सा उपचार के लिए: उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए

- चैक की प्राप्ति की तत्काल सूचना भेजी जानी चाहिए और तत्पश्चात एक उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाना चाहिए। अस्पताल को एक उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना अनिवार्य है जिसमें लाभार्थियों द्वारा भुगतान की गई धनराशि सहित व्यय के संपूर्ण ब्यौरे दिए गए हैं।
- यदि धनराशि जारी करने के छह माह के भीतर अनुदान राशि इसके जारी किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर खर्च नहीं की जाती है तो उसे इस कार्यालय को लौटा दिया जाना चाहिए।

(ii) प्राकृतिक आपदाओं के लिए

- मृत्यु/घायल होने के संबंध में अस्पताल का प्रमाणपत्र।
- प्राकृतिक आपदा में व्यक्ति की मृत्यु होने/उसके घायल होने के संबंध में जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र।
- पूर्व-रसीद सहित बिल।
- भुगतान जारी होने के बाद घायल व्यक्ति या उसके विधिक आश्रित (मृत्यु हो जाने की स्थिति में) से उपयोगिता प्रमाणपत्र।

(iii) उपराष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों के कल्याणार्थ

- (क) प्राधिकृत व्यक्ति [वी पी सचिवालय/सुरक्षा/केलोनिवि] से यह प्रमाणित करते हुए पत्र कि मृत/घायल व्यक्ति उपराष्ट्रपति भवन में कार्यरत था/है।
- (ख) मृत्यु/घायल होने का चिकित्सा प्रमाणपत्र।
- (ग) पूर्व-रसीद सहित बिल।
- (घ) भुगतान जारी होने के बाद घायल व्यक्ति या उसके विधिक आश्रित (मृत्यु हो जाने की स्थिति में) से उपयोगिता प्रमाणपत्र।

अनुसूची

क्र.सं.	उद्देश्य	सहायता के स्वीकार्य मानदंड	पात्रता संबंधी शर्तें	संस्वीकृति प्राधिकारी
क	विद्यमान प्रावधान			
	चिकित्सा उपचार			
1.	क) भारत में 1 लाख रुपये की लागत तक ख) भारत में 1 लाख रुपये से अधिक लागत के लिए ग) विदेश में उपचार कराने हेतु	क) लागत का 50%, 12,500/- रुपये तक सीमित ख) 20,000 रुपये ग) लागत का 50%, 37,500/- रुपये तक सीमित	<ul style="list-style-type: none"> - बड़ी बीमारियों उदाहरण के लिए कैंसर, हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण आदि - निर्धन व्यक्ति - केंद्रीय/राज्य सरकार या इसके उपक्रमों में काम नहीं करते हैं - कुछ बीमारियां ईएसआई या किसी अन्य चिकित्सा बीमा के तहत नहीं आती है; - एक बीमारी के लिए केवल एक बार पात्र; - सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार; और - विदेश में उपचार हेतु, यह उपचार भारत में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। 	क) उप-राष्ट्रपति ख) उप-राष्ट्रपति ग) उप-राष्ट्रपति

II.	<p>प्राकृतिक आपदाएं सूखा, अकाल, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भू-स्खलन, दुर्घटनाएं आदि।</p>	<p>प्रति मृतक 25000 रुपये और प्रति घायल व्यक्ति 7500 रुपये (संपत्ति का नुकसान होने पर नहीं)</p>	<p>व्यक्ति की मृत्यु होने पर, धनराशि को विशेष रूप से मृत व्यक्ति की पत्नी/पति, बच्चों/सौतेले बच्चों, आश्रित माता-पिता विधवा पुत्रियों/बहनों को या मृतक की अल्पवयस्क होने की स्थिति में, विधिक अभिभावक के माता/पिता को दिया जा सकता है।</p>	<p>उप-राष्ट्रपति</p>
III.	<p>उपराष्ट्रपति कार्यालय के कर्मचारियों के कल्याणार्थ क) माता-पिता/पति/पत्नी/ बच्चे की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के खर्च की पूर्ति के लिए ख) किसी कर्मचारी की मृत्यु या उसके घायल होने पर</p>	<p>क) 1000 रुपये तक ख) 25000 रुपये तक</p>	<p>क) अ.श्रे.लि. से नीचे के कर्मचारी ख) सभी कर्मचारी</p>	<p>क) उप-राष्ट्रपति ख) उप-राष्ट्रपति</p>